ब्रण्ड ............................................................................................................................मुण्डावर, जिला अलवर

........................................ किस्म ........................................ मुकदमा नं० ........................................ दिनांक........................

ती...............................................................................................................................................

| | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05/4/21 | आज पत्रावली पेश (वकील वादी) उपस्थित विद्वान के वाद का सार यह है कि आ० ख० नं० 38/0.30, 39/0.33 हैक्टेयर वाके ग्राम चूड़ला तह० मुण्डावर का 1/2 भाग व आ० ख० नं० 90/0.91 हैक्टे० वाके ग्राम चूड़ला तहसील मुण्डावर का 0.30 हैक्टेयर भाग विवादित आराजी कहलायेगा जिसमें आ० ख० नं० 38 व 39 का 1/2 हि० निरूपा पुत्र हनुमान की खातेदारी आराजी होकर वादनी चन्द्री देवी ने दिनांक 02/11/10 को जरिये बयनामा खरीद किया था तथा ख० नं० 90/0.91 हैक्टे० में से हनुमान पुत्र [illegible] 14 बिस्वा को जरिये बयनामा दिनांक 23/07/03 एवं 11/72 भाग अर्थात 11 बिस्वा प्रेमसी नारायण, नेतराम, धुर्जन पुत्रान जयमल की खातेदारी आराजी को दिनांक 09/10/03 जरिये बयनामा खरीद किया था व वक्त खरीद से काबिज आराजी है। इस प्रकार ख० नं० 90/0.91 हैक्टे० में से 0.30 हैक्टेयर अर्थात 25 बिस्वा आराजी का खातेदार बिलवादी [illegible] है। उक्त विवादित आराजी की बाबत प्रतिवादीगण के आपस में साठगांठ होकर बंटवारा व खातेदारी का वाद दायर किया था जिसमें डिक्री कराई एवं प्रतिवादीगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में डिक्री वाद प्रतिवादी एवं वादनी के खातेदारी के अधिकारों के खिलाफ है प्रभाव शून्य है एवं इस प्रभाव शून्य घोषित करने के अधिकारी है। बयनामा के आधार पर इन्तकाल नं० 315 प्रतिवादी रामकुंवार के नाम दर्ज व मन्जूर हो चुका है। बंटवारा की डिक्री के आधार पर इन्तकाल नं० 586 दिनांक 04/12/12 को दर्ज व मन्जूर कराया जो डिक्री और इन्तकाल प्रतिवादीगण के खिलाफ है, खिलाफ कानून दर्ज हुआ है जिनको वादीगण प्रभाव शून्य घोषित कराने के अधिकारी है एवं जिस डिक्री [illegible] आधार पर ख० नं० 38/2 जरिये इन्तकाल [illegible] निरूपा पुत्र हनुमान के नाम दर्ज हुआ है एवं वादनी [illegible] 38/0.30 हे० का 1/2 भाग निरूपा की हिस्से आराजी 0.15 हैक्टेयर बयनामा खरीद की हुई है वो एवं ख० नं० 39/2 रकबा 0.66 हे० जो निरूपा पुत्र हनुमान के नाम जरिये इन्तकाल नं० 586 से नाम दर्ज हुआ है वादनी को जरिये बयनामा खरीदा हुआ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा ख० नं० 90/1 रकबा 0.61 हे० में से नारायण, नेतराम, धुर्जन पुत्रान जयमल व हनुमान पुत्र नारायण की जगह 25 बिस्वा अर्थात 0.30 हे० | |

248 सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:42 I
Reason: SelfAttested

आराजी की बाबत किशनी / निकुवाल को विधिवत काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादी एवं वादनी के अधिकारों तक प्रतिवादीगण का कोई हस्तक्षेप करने के आदेश दिये जावे आदि-आदि कथन करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बा/द विधिवत तलबी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण के कथन वाद पत्र की ताईद में लिखित साक्ष्य स्वरूप नकल इन्तकाल नं० 306 प्रदर्श-1, नकल इन्तकाल नं० 315 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी नं० 2066-69 किता-3 प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी सं० 2070 प्रदर्श-4, नकल जमाबन्दी नं० 2070-23 प्रदर्श-5, नकल फैसला दिनांक 11-10-10 प्रदर्श-6 नकल फैसला दिनांक 09-10-2003 प्रदर्श-7, नकल फैसला 23-7-2003 प्रदर्श-8 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ-पत्र वादी निकुवाल PW-1, शपथ-पत्र बिजेन्द्र PW-2 एवं शपथ-पत्र प्रभु S/o सरूपा PW-3, जगदीश पुत्र जयमल PW-4, हनुमान पुत्र भागीरथ PW-5 एवं शपथ-पत्र बनारसी देवी PW-6 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए एवं स्वयं प्रतिवादी नं० 1, 2, 6 द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य वादी स्वयं शपथपत्र पेश किये गये गवाहन द्वारा दिये बयानात को दोहराते हुए एवं वादी द्वारा आराजीयात को जेर रजिस्टर्ड बयनामेजात खरीदने बाबत प्रस्तुत रिकार्ड [illegible] तथा आजके वाद पत्र को सम्पूर्ण रूप से [illegible] डिक्री किये जाने की, क्योंकि वादीगण के पक्ष में [illegible] किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत

246

सहायक कलक्टर
[illegible] (अलवर) राज०

Signature N[illegible]
Digitally signe[illegible]
Rajawat
Date: 2021.07[illegible]
Reason: SelfA[illegible]

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर एवं तारीख हुक्म की तामील

दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल खा0 ख0नं0 38/2 रकबा 0.15, 39/2 रकबा 0.66 एवं 90/1 रकबा 0.61 हैक्टेयर वाके ग्राम चूहड़ला तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत का वाद मुताबिक दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है तथा ख0नं0 38/2 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 39/2 रकबा 0.66 हैक्टेयर के हाल राजस्व रिकार्ड पर से सरूपा के नाम को वादिया को हस्तक इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं वादिया पतासी देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0नं0 90/1 रकबा 0.61 हैक्टेयर में अंकित नाम रामकरण, नेतराम, सुरजना पुत्रान जयमल एवं हनुमान पुत्र लगरिया का नाम वादी किशन हस्तक इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त ख0 नं0 90/1, रकबा 0.61 हैक्टेयर में से वादी रामकुंवार को 0.30 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बैंक रहन की अदायगी की स्थिति में प्रतिवादीगण की मौजूदा अन्य हिस्सा आराजीयात से बैंक की रहन राशि वसूलनीय रहेगी। प्रतिवादीगण को इस आशय से दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार से मदाखलत पैदा नहीं करें। [illegible] रहेगा। वाद शीर्षक निर्णय एवं पर्चा डिक्री का [illegible] लिखित प्रकार तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] कम हो [illegible] होवे। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Si
Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:42
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 353 / 2020 दायरा दिनांक :—21.10.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :— 05.04.2021

1. रामकुमार पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी चूडला तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0।
2. श्रीमति पताशी देवी पत्नी रामकुमार जाति गुर्जर निवासी चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.......... वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र सगरूराम जाति गुर्जर निवासी चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. जगराम पुत्र जयमल जाति गुर्जर निवास चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर
3. नेतराम पुत्र जयमल जाति गुर्जर निवासी चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर
4. सुरजन पुत्र जयमल जाति गुर्जर निवासी चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5. श्योनारायण
6. प्रभू
7. श्योराम
8. रामशरण
9. पप्पूराम पुत्रान सरूपा
10. कमला पुत्री सरूपा जातियान गुर्जरान निवासीयान चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
12. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. श्रीमान मैनेजर एस.बी.बी.जे बैंक शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
14. श्रीमान मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.......... प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested

**—: पर्चा डिक्री :—**

वादी की ओर से **श्री गंगाराम** पटेल एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 05.04.2021** को **श्री रामसिंह राजावत**, **सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है**:—

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी खसरा नम्बर 38 / 2 रकबा 0.15, 39 / 2 रकबा 0.66 एवं 90 / 1 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत का वाद सुसंगत दस्तावेजात से साबित

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

कर दिये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है तथा खसरा नम्बर 38/2 रकबा 0.15 है एवं 39/2 रकबा 0.66 है0 के हाल राजस्व रिकार्ड पर से सरूपा के नाम को वादिया ही हद तक हजफ किये जाने जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादिया पतासी देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 90/1 रकबा 0.61 है0 में अंकित जगराम, नेतराम, सुरजन पुत्रान जयमल एवं हुनमान पुत्र सगरिया का नाम वादी की हद तक हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त खसरा नम्बर 90/1 रकबा 0.61 है0 में से वादी रामकुमार को 0.30 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बैक रहन की स्थिति में प्रतिवादी की शेष एवं अन्य दीगर आराजीयात से बैंक ऋण राशि वसूलनिय रहेगी। प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है। कि वादीगण के कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा नही करे।

**यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

5/4/21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested